

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 06, बुधवार, शके 1948- मई 27, 2026 Jyaistha 06, Wednesday, Saka 1948- May 27, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 19 मई, 2026

जी.एस.आर 213.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(47)खान/ग्रुप-1/2016 दिनांक 15 सितम्बर, 2020 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

नम्रता वृष्णि,
विशिष्ट शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

खान (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 15 सितम्बर, 2020

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केंद्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 की उप-धारा (1क) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020 है।

(2) इनका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा और यह सभी गौण खनिजों पर लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केंद्रीय अधिनियम सं. 67) अभिप्रेत है;
- (ख) “अध्यक्ष, संचालक मंडल” से राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास के संचालक मंडल का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ग) “अध्यक्ष, कार्यकारी समिति” से राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (घ) “विभाग” से खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;
- (ङ) “निधि” से नियम 7 में निर्दिष्ट निधि अभिप्रेत है;
- (च) “सरकार” से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;
- (छ) “संचालक मंडल” से न्यास का संचालक मंडल अभिप्रेत है;
- (ज) “कार्यकारी समिति” से न्यास की कार्यकारी समिति अभिप्रेत है;
- (झ) “सदस्य, संचालक मंडल” से न्यास के संचालक मंडल का सदस्य अभिप्रेत है;
- (ञ) “सदस्य, कार्यकारी समिति” से न्यास की कार्यकारी समिति का सदस्य अभिप्रेत है;
- (ट) “सुस्पष्ट भू-गर्भीय संभावना क्षेत्र” से भारत के भू-गर्भीय सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर पहचान किया गया खनिज संभावित क्षेत्र अभिप्रेत है; और
- (ठ) “न्यास” से नियम 3 में निर्दिष्ट राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये और परिभाषित नहीं किये गये किंतु अधिनियम में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

3. न्यास की स्थापना.- राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास के नाम से जाना जाने वाला एक न्यास होगा। न्यास का उद्देश्य राज्य में खनिज संसाधनों का योजनाबद्ध विकास और उनकी खोज करना होगा।

4. संचालक मंडल.- (1) न्यास का संचालक मंडल निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

1.	प्रभारी मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग	अध्यक्ष
2.	अति. मुख्य सचिव/प्र.सचिव /सचिव, वित्त	सदस्य
3.	अति. मुख्य सचिव/प्र.सचिव /सचिव, पर्यावरण, वन	सदस्य
4.	अति. मुख्य सचिव/प्र.सचिव /सचिव, राजस्व	सदस्य
5.	प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज (आर.एस.एम.एम.एल.)	सदस्य
6.	उप महानिदेशक (राजस्थान इकाई) जी.एस.आई. (डब्ल्यू.आर.)	सदस्य
7.	निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान	सदस्य
8.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कोरपोरेशन लिमिटेड से नामनिर्देशिती	सदस्य

9.	अति. मुख्य सचिव/प्र.सचिव/सचिव, खान एवं पेट्रोलियम	सदस्य-सचिव
----	---	------------

(2) संचालक मंडल का अध्यक्ष, खनिज खोज के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा। ऐसे आमंत्रित व्यक्ति को बैठक में मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा किंतु वे ऐसी बैठक फीस और अन्य भत्ते, जो समय-समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित किये जायें, प्राप्त करने के हकदार होंगे।

5. कार्यकारी समिति के सदस्य.- (1) न्यास की कार्यकारी समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

1.	अति. मुख्य सचिव/प्र.सचिव/सचिव, खान एवं पेट्रोलियम	अध्यक्ष
2.	निदेशक तकनीकी समन्वय, राज्य इकाई राजस्थान, जी.एस.आई. (डब्ल्यू.आर.)	सदस्य
3.	क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड से नामनिर्देशिती	सदस्य
5.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कोरपोरेशन लिमिटेड से नामनिर्देशिती	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, खान एवं पेट्रोलियम	सदस्य
7.	निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान	सदस्य-सचिव

(2) कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, खनिज खोज के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा। ऐसे आमंत्रित व्यक्ति को बैठक में मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा किंतु वे ऐसी बैठक फीस और अन्य भत्ते, जो समय-समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित किये जायें, प्राप्त करने के हकदार होंगे।

6. संचालक मंडल और कार्यकारी समिति के कृत्य.- (1) संचालक मंडल, न्यास के कृत्यों के लिए व्यापक नीतिगत संरचना को अधिकथित करेगा और उसके कार्य का पुनर्विलोकन करेगा।

(2) संचालक मंडल, कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन करेगा और यह वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(3) कार्यकारी समिति न्यास का प्रबंध, प्रशासन और पर्यवेक्षण करेगी, नियमित अन्तरालों पर न्यास निधि के व्यय को मानीटर और उसका पुनर्विलोकन भी करेगी।

(4) कार्यकारी समिति अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए, नीतिगत संरचना और संचालक मंडल के निदेशों की समय-समय पर पालना करेगी।

7. न्यास के अधीन एक निधि का गठन.- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा न्यास के अधीन राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि के नाम से जानी जाने वाली एक निधि स्थापित करेगी जिसका प्रबंधन न्यास की कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा।

(2) न्यास निधि, नियम 8 के उपबंधों के अनुसार संदत की जाने वाली रकम प्राप्त करेगी और कार्यकारी समिति द्वारा यथाअनुमोदित स्रोतों से अभिदाय/सहायता/सहायताएं भी प्राप्त कर सकेगी।

(3) निधि का उपयोग नियम 10 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और कृत्यों के लिए किया जायेगा।

8. न्यास निधि में अंशदान.- (1) न्यास को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केंद्रीय अधिनियम सं. 2) की दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट किसी भी अनुसूचित बैंक में अपने स्वयं के नाम से पीडी खाता/बैंक खाता खोलने और प्रचालित करने की शक्ति होगी।

(2) न्यास, प्राप्तियों और संदायों के प्रयोजनों के लिए निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान, राजस्थान सरकार को इसके पीडी खाते/बैंक खाते की विशिष्टियां संसूचित करेगा।

(3) गौण खनिजों का खनन पट्टाधारक, खदान अनुज्ञप्तिधारी और अनुज्ञापत्रधारक उसको आबंटित/अनुज्ञप्त क्षेत्र भीतर-भीतर उसके द्वारा हटाये गये और/या उपभुक्त किसी खनिज के संबंध में, पहले पांच वर्ष के लिए राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 2017 की अनुसूची 2 के निबंधनों के अनुसार संदत रॉयल्टी के दो प्रतिशत के समतुल्य राशि और उसके पश्चात रॉयल्टी के एक प्रतिशत के समतुल्य राशि का न्यास निधि में अंशदान संदेय करेगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन न्यास निधि के प्रति संदाय, अग्रिम ई-संदाय के माध्यम से किसी पृथक उप-शीर्ष के अधीन रॉयल्टी के साथ अग्रिम रूप से संगृहीत किया जायेगा और न्यास के खाते में जमा किया जायेगा, और रॉयल्टी के निर्धारण के समय यदि कोई अन्तर प्रोद्भूत होता है, तो तत्काल उसे न्यास के खाते में जमा किया जायेगा।

(5) न्यास निधि की वसूली संविदाकार, जिसे अधिक रॉयल्टी संग्रहण संविदा/रॉयल्टी संग्रहण संविदा अवार्ड की गयी है, के माध्यम से की जायेगी, और ऐसे मामले में, न्यास निधि में अंशदान की मासिक किस्त न्यास निधि के खाते में सीधे ही जमा की जायेगी।

(6) सरकार, राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय 10 के अधीन शास्ति के रूप में प्राप्त राजस्व का दस प्रतिशत, न्यास को अन्तरित करेगी।

(7) संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता, राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय 10 के अधीन शास्ति के रूप में संगृहीत रकम न्यास के पीडी खाते/बैंक खाते में जमा करेगा।

(8) संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता, उप-नियम (3), (4) और (5) के अधीन रकम के संग्रहण के लिए उत्तरदायी होंगे। संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता, न्यास खाते में इसकी जमा और लेखा पुस्तकें संधारित करेगा।

(9) निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान इस प्रकार संगृहीत रॉयल्टी के डाटाबेस के साथ न्यास के पीडी खाते/बैंक खाते को अन्तरित रकम का एक अद्यतन अभिलेख संधारित करेगा और मासिक आधार पर ऐसी सूचना न्यास को उपलब्ध करवायेगा।

9. कार्यालय और बैंक खाता.- (1) न्यास का कार्यालय जयपुर में या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जो कार्यकारी समिति द्वारा अवधारित किया जाये।

(2) न्यास का बैंक खाता निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान और विभाग के वित्तीय सलाहकार या कार्यकारी समिति द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से खोला और संचालित किया जायेगा।

10. न्यास के उद्देश्य और कृत्य.- न्यास के उद्देश्य और कृत्य निम्नानुसार होंगे:-

- (i) राज्य में खनिज संसाधनों के योजनाबद्ध विकास और उनकी खोज के लिए लघु-अवधि, मध्यम-अवधि और दीर्घ-अवधि का विज्ञान और मिशन योजनाएं तैयार करना;
- (ii) खोज की मास्टर योजना तैयार करना और संसाधनों की प्रादेशिक और विस्तृत खोज और उनका आंकलन करना;
- (iii) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात वन क्षेत्र में खोज करना;
- (iv) स्पष्ट भू-वैज्ञानिक संभावित क्षेत्रों के भू-भौतिकीय, भू और हवाई सर्वेक्षण और भू-रासायनिक सर्वेक्षण को सुकर बनाना;
- (v) खनिज विकास, अविरत खनन, उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पद्धति को अंगीकृत करने और निष्कर्षण धातु विज्ञान का अध्ययन और पक्ष समर्थन का जिम्मा लेना;
- (vi) न्यास में लगे हुए विभाग के कर्मिकों का तकनीकी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना;
- (vii) खनिज विश्लेषण और अयस्कों के परीक्षण हेतु विभाग, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, निजी सेक्टर खनिज उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों, प्रयोगशालाओं आदि द्वारा प्रस्तुत चट्टानों और खनिज नमूनों में सहयुक्त अपद्रव्यों की पहचान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का जिम्मा लेना जिससे कि इस बारे में न लाभ न हानि के आधार पर रासायनिक, भौतिक परीक्षण और उपकरण विश्लेषण द्वारा अयस्कों, खनिजों की गुणवत्ता निर्धारित की जा सके;
- (viii) विभाग की प्रयोगशाला को सशक्त और उन्नत करने की कार्रवाई प्रारंभ करना और अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय परीक्षण अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) से एक््रीडिशन अभिप्राप्त करने के पश्चात खनिज आधारित उत्पादों के निर्यातकों को परीक्षण और विश्लेषण के आधार पर प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना;
- (ix) अधिकारियों, भू-विज्ञानी या वैज्ञानिकों, तकनीकी व्यक्तियों, वित्तीय परामर्शीयों, प्रबंध परामर्शीयों और अन्य कर्मचारियों, जो न्यास के कृत्यों के

पालन के लिए आवश्यक हैं, को प्रतिनियुक्ति/संविदात्मक आधार पर नियुक्त करना;

- (x) राज्य के लिए राज्य खनिज निर्देशिका, राज्य खनिज एटलस/भू-सूचना विज्ञान खनिज संपदा सूचना प्रणाली विकसित करना और लोकाधिकारी क्षेत्र के लिए अंकीय रूपविधान में भू-विज्ञान और अन्य भू-वैज्ञानिक डाटा रखना;
- (xi) सरकार को नवाचार से परिचय कराना और नई तकनीक अपनाने में तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करवाने में सहायता करना;
- (xii) आवश्यकताओं का निर्धारण, अर्हित व्यक्तियों को समर्थ बनाने के लिए, पाठ्यक्रमों की डिजाइनिंग और कौशल विकास, कौशल विकास के लिए बनाने संस्थानों की पहचान;
- (xiii) निम्न श्रेणी खनिजों पर खनिज सज्जीकरण और मूल्य परिवर्धन अध्ययनों का जिम्मा लेना;
- (xiv) खोज परियोजनाओं के लिए प्रचालनिक सहायता जैसे जीपीएस, जीएनएसएस, मोटरयान आदि उपलब्ध कराना;
- (xv) खनिज आधारित उद्योगों के विनिधानकर्ताओं को प्रोन्नत करना और सहायता के लिए कारबार विकास केन्द्र स्थापित करना; और
- (xvi) ऐसे अन्य प्रयोजन जो राज्य में खनिज संसाधनों के विकास और दोहन के लिए संचालक मंडल विनिश्चित करे।
- (xvii) राज्य में आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन, सर्वेक्षण आदि के माध्यम से खनन और संबंधित गतिविधियों को मानीटर करना।

11. न्यास का प्रबंध.- (1) न्यास का संपूर्ण नियंत्रण, आवधिक समीक्षा और नीति निदेश संचालक मंडल में निहित होगा।

(2) कार्यकारी समिति, न्यास के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों का प्रबंध, प्रशासन और पर्यवेक्षण करेगी।

(3) कार्यकारी समिति वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिये स्कीम बनायेगी और अंतिमता देगी।

12. समितियां.- (1) कार्यकारी समिति न्यास के उद्देश्यों या ऐसे अन्य कार्यों, जो कार्यकारी समिति द्वारा समनुदेशित या प्रत्यायोजित किये जायें, को पूरा करने के लिए समितियां या उप-समितियां गठित कर सकेगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार गठित समिति या उप-समिति इन नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी और ऐसी शक्तियों और कृत्यों का पालन करेगी जैसी कार्यकारी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

13. कार्यपालिका समिति द्वारा परिलक्षित परियोजनाओं का कार्यान्वयन .- (1) कार्यकारी समिति, संचालक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित न्यास के उद्देश्यों से संगत परिलक्षित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कार्यकारी समिति, अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत अपनी स्वयं की प्रक्रिया विरचित करेगी।

14. खोज परियोजनाओं की मानिट्रिंग.- (1) न्यास या तो स्वयं या किसी इकाई द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर करेगा।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, न्यास अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत अपनी स्वयं की प्रक्रिया विरचित करेगा।

15. संचालक मंडल की बैठक.- (1) संचालक मंडल एक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(2) संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता संचालक मंडल के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(3) संचालक मंडल के समस्त विनिश्चय या संकल्प सर्वसम्मति से किये या अंगीकृत किये जायेंगे।

(4) किसी असहमति या विसम्मति के मामले में, संचालक मंडल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(5) संचालक मंडल की बैठक या तो भौतिक रूप से या वर्चुअली या परिचालन द्वारा या दोनों के संयोजन द्वारा की जा सकेगी:

परन्तु परिचालन द्वारा बैठक न्यास के लेखाओं के अंगीकरण, न्यास की वार्षिक योजना, वार्षिक बजट और वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन को लागू नहीं होगी।

16. कार्यकारी समिति की बैठक.- (1) कार्यकारी समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(2) कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(3) कार्यकारी समिति की बैठक या तो भौतिक रूप से या वर्चुअली या परिचालन द्वारा या दोनों के संयोजन से की जा सकेगी:

परन्तु परिचालन द्वारा बैठक न्यास के लेखाओं के अंगीकरण, न्यास के वार्षिक योजना, वार्षिक बजट और वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए संचालक मंडल को सिफारिश लागू नहीं होगी।

17. संचालक मंडल और कार्यकारी समिति की बैठक के लिए सूचना और कार्यसूची.-

(1) संचालक मंडल का अध्यक्ष या अध्यक्ष, संचालक मंडल की सहमति से सदस्य-सचिव सभी सदस्यों को कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना देते हुए संचालक मंडल की बैठक बुलायेगा:

परन्तु संचालक मंडल का अध्यक्ष लघु अवधि के नोटिस से बैठक का संयोजन प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) कार्यकारी समिति का अध्यक्ष या अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की सहमति से सदस्य-सचिव सभी सदस्यों को कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना देते हुए कार्यकारी समिति की बैठक बुलायेगा:

परन्तु कार्यकारी समिति का अध्यक्ष लघु अवधि के नोटिस से बैठक का संयोजन प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) किसी बैठक के लिए सूचना में, बैठक की कार्यसूची, पूर्वतर बैठक का प्रारूप कार्यवृत्त और पूर्वतर बैठक के कार्यवृत्त पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट सम्मिलित हो सकेंगे।

18. बैठक की गणपूर्ति.- (1) संचालक मंडल की किसी बैठक की गणपूर्ति चार से होगी।

(2) कार्यकारी समिति की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति चार से होगी।

19. कार्यकारी समिति के सदस्य-सचिव की शक्तियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व.- (1) कार्यकारी समिति का सदस्य-सचिव,-

(i) कार्यकारी समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशन के अधीन रहते हुए न्यास का प्रशासन और प्रबंध करेगा; और

(ii) ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कार्यकारी समिति द्वारा प्रत्यायोजित की जायें या जो अध्यक्ष, कार्यकारी समिति द्वारा समनुदेशित की जायें।

(2) कार्यकारी समिति का सदस्य-सचिव उप-नियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करेगा, अर्थात्:-

(i) वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट तैयार करना और उनको संचालक मंडल के विचार और सिफारिश के लिए कार्यकारी समिति को प्रस्तुत करना;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि न्यास द्वारा परियोजनाओं और अपने जिम्मे लिए जाने वाले प्रस्तावों पर विचार करने से पूर्व कार्यकारी समिति की सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रक्रियाओं, नियमों या निदेशों के अनुसार सम्यक तत्परता का प्रयोग किया गया है;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि न्यास के क्रियाकलाप, वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं; और

(iv) संचालक मंडल को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट सरकार को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के जनवरी के अंत तक प्रस्तुत करना।

20. वार्षिक योजना.- (1) कार्यकारी समिति का सदस्य-सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, आगामी वित्तीय वर्ष में न्यास द्वारा जिम्मे लिए जाने वाली प्रस्तावित लघु अवधि और दीर्घ अवधि परियोजनाओं के साथ ऐसे समय के दौरान पूर्ण किये जाने वाले या जिम्मे लिये जाने वाले क्रियाकलापों और परियोजनाओं के पूर्ण किये जाने के अनुमानित समय और

ऐसी परियोजना के लिए लागत के ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए योजनाओं, जिसे वार्षिक योजना के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की तैयारी की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

(2) वार्षिक योजना में न्यास द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जिम्मे लिए जाने हेतु प्रस्तावित समस्त परियोजनाएं, कार्यक्रम, क्रियाकलाप अंतर्विष्ट होंगे और लक्ष्य सुस्पष्ट रूप से निर्धारित होंगे।

21. वार्षिक बजट.- कार्यकारी समिति का सदस्य-सचिव, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों पर प्रस्तावित आय और व्यय के ब्यौरों से अंतर्विष्ट करते हुए अग्रिम रूप से वार्षिक बजट की तैयारी की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा, जिसके अंतर्गत इस संबंध में निधिकरण अपेक्षाओं के ब्यौरों सहित न्यास द्वारा उपगत किए जाने हेतु प्रस्ताव विधिक, प्रशासनिक और अन्य लागतें हैं, जिसे वार्षिक बजट के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, जो कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित होगा और अग्रिम रूप से अनुमोदन के लिए संचालक मंडल को भेजा जायेगा।

22. वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन.- (1) वार्षिक योजना और वार्षिक बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से तीस दिन पूर्व संचालक मंडल के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखे जाएंगे।

(2) कार्यकारी समिति का सदस्य-सचिव, संचालक मंडल के सदस्य-सचिव से सम्यक रूप से अनुमोदित वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट की प्रतियां प्राप्त करने पर, उनको संचालक मंडल के अनुमोदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(3) उप-नियम (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यास, अध्यक्ष, संचालक मंडल के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसे क्रियाकलापों हेतु व्यय का जिम्मा ले सकेगा जो वार्षिक योजना में अनुमोदित नहीं किये गए हैं, जिनको अगले वार्षिक बजट में संचालक मंडल के समक्ष रखा जायेगा।

(4) वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट, अध्यक्ष, संचालक मंडल के अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए किसी भी समय संशोधित किए जा सकेंगे, जिनको अगले वर्ष की योजना या बजट में संचालक मंडल के समक्ष रखा जायेगा।

23. वार्षिक रिपोर्ट.- (1) कार्यकारी समिति का सदस्य-सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नब्बे दिन के भीतर ऐसी सूचना, जो कार्यकारी समिति द्वारा समुचित समझी जाए, से अंतर्विष्ट एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित की जायेगी और उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय वर्ष के दौरान न्यास द्वारा पूरे किए गए क्रियाकलापों और ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान न्यास द्वारा उपगत व्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।

(3) वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, कार्यकारी समिति के अनुमोदन के पश्चात संचालक मंडल द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर, सरकार को भेजी जाएगी।

24. वित्तीय वर्ष.- (1) न्यास का लेखांकन या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

(2) न्यास की संक्रियाओं का प्रथम वर्ष आंशिक वर्ष हो सकेगा।

25. लेखाओं का अनुरक्षण और संपरीक्षा.- (1) न्यास के लेखे ऐसे प्ररूप, ढंग और रीति में अनुरक्षित रखे जायेंगे, जो कार्यकारी समिति द्वारा विनिश्चित किये जाएं।

(2) न्यास निधि के लेखे ऐसे रीति में संपरीक्षित किये जाएंगे जो कार्यकारी समिति द्वारा विनिश्चित की जाये।

(3) न्यास, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट संपरीक्षा के पश्चात वार्षिक रिपोर्ट संचालक मंडल को प्रस्तुत करेगा।

[सं. एफ.12(47)खान/गु-1/2016]

राज्यपाल के आदेश से,

ओम कसेरा,

संयुक्त शासन सचिव।